Form No. III

फर्द–अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

मुकेश वगैराह **बनाम** **ग्राम पंचायत वगैराह**

कार्यवाही :– अन्तर्गत धारा 97 पंचायतीराज अधिनियम, 1994

किस्म मुकदमा **निगरानी (पंचायत)** नं0 **072** सन् **2020**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.07.2024	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर। निगराकार संख्या रामकिशन पिता बंशीलाल लाठी निवासी बस्सी स्वयं हाजिर। पत्रावली पर उपलब्ध फोटो से पहचान प्रमाणित है। वकील गैर–निगरकार द्वारा निवेदन किया गया है कि निगराकार द्वारा न्यायालय आदेश दिनांक 22.09.2021 की पालना में आज दिनांक तक दस्तावेज की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई है, अतः न्यायालय आदेश की पालना निगराकार से कराई जायें। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। न्यायालय आदेश दिनांक 22.09.2021 से गहनता पूर्वक अवलोकन/परिशीलन किया। न्यायालय आदेश आदेश दिनांक 22.09.2021 निगराकारान को निगरानी मेमों जिन दस्तावेजात के आधार पर प्रस्तुत की गई है उन दस्तावेज की प्रति गैर–निगराकारान को दिलवाई जाने के आदेश दिये गये है। उक्त आदेश के क्रम में निगराकार द्वारा दस्तावेज की प्रति गैर–निगराकारान को उपलब्ध नहीं कराई जा कर न्यायालय आदेश की पाना निगराकार द्वारा नहीं की गई है एवं आज भी निगराकार द्वारा दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये है। पत्रावली पर निगराकारान द्वारा निगरानी मेमों के साथ इस आशयक का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है न्यायालय में असल दस्तावेज की आवश्यकता होने पर अपने खर्चे पर निगराकारान द्वारा असल दस्तावेज पेश कर दिये जावेगें। उक्त प्रार्थना–पत्र दिनांक 14.10.2020 निगरानी मेमों के साथ प्रस्तुत किया गया, किन्तु न्यायालय आदेश के बावजूद निगराकारान द्वारा आदेश की पालना नहीं की गई है एवं ना ही निगरानी के संबंध में निगराकार द्वारा किसी भी प्रकार से कोई दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये है। इसके साथ ही वकील निगराकार द्वारा न्यायालय में दिनांक 11.01.2022 को आदेश दिनांक 22.09.2021 के संबंध में माननीय संभागीय आयुक्त महोदय उदयपुर के	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	यहां अपील प्रस्तुत करने का निवेदन बाबत् प्रार्थना–पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। अधिवक्ता निगराकार द्वारा इस संबंध में आज दिनांक तक न्यायालय में आदेश की अपील/रिवीजन बाबत् कोई दस्तावेजात पेश नहीं किये गये है। इससे यह तथ्य प्रमाणित होता है कि निगराकार द्वारा जानबूझ कर न्यायालय आदेश की अवहेलना की जाकर टालम–टोल कर रहे है। इसके साथ ही निगराकारान पत्रावली में दिनांक 23.12.2023, 27.02.2024, 07.05.2024 लगातार अनुपस्थिति रहे। जिससे यह तथ्य प्रमाणित होता है कि निगराकार स्वयं अपने निगरानी के प्रति गम्भीर नहीं है, एवं लगातार न्यायालय आदेश की अवहेलना की जाकर समय व्यतीत रहे है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि वादी/प्रार्थी/निगराकार को अपना वाद/प्रार्थना–पत्र/ निगरानी स्वयं दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित कराया जाना होता है, एवं इस तथ्य का भार स्वयं वादी /प्रार्थी/निगराकार पर होता है, किन्तु हस्तगत निगरानी में न्यायालय आदेश के बावजूद निगराकार अपने आवेदन के समर्थन में किसी भी प्रकार से कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किये गये जो कि वादी/प्रार्थी/निगराकार का व्यतिक्रम की श्रेणी में आता है। ऐसी स्थिति में निगराकारान की निगरानी का निगराकारान के व्यतिक्रम में खारीज किये जाने के अतिरिक्त न्यायालय के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं है, अतः उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर निगराकारान की निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायतीराज अधिनियम, 1994 को निगराकारान के व्यतिक्रम में खारीज किया जाता है। तद्नुसार अभिलेखों में अंकन किया जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **-S/d-** (आलोक रंजन) जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ 02.07.2024	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official